अमृत वाणी

दुख एक प्रकार से छूत का रोग है।

– विवेकानंद

संपादकीय

महती विचार

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में झारखंड में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि मानव जाति का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और इस महात्वाकांक्षा का कोई अंत नही है। इसलिए मानव कल्याण के कार्यो में लगे लोगों को किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट हुए बिना लगातार काम करते रहना चाहिए। वैसे भी हमारे धर्मग्रंथों में एवं संतों के वक्तव्यों में यही संदेश दिया गया है कि हमें केवल कर्म करना है फल की आकांक्षा नही।

वस्तुतः अगर समाज सेवी संगठनों और जन कल्याणकारी संस्थानों को एक ओर रख भी दें फिर भी देश में गठित तमाम राजनीतिक दलों का मूल उद्देश्य भी मानव कल्याण के लिए कार्य करना ही होता है चाहे वो किसी पद पर हों या सामान्य कार्यकर्ता, मगर सवाल यह है कि क्या व्यवहार में ऐसा होता है। सच कहा जाय तो इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर शायद ही इन संगठनों से जुड़ा अन्य कोई होगा जो वास्तव में समाज कल्याण या कहें अपने संगठन के प्रति भी निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो या उसके प्रति समर्पित हो। दरअसल आज के अधिकतर राजनीतिक एवं अन्य संस्था संगठन मुख्यतः स्वार्थ एवं उद्देश्य प्रेरित होते जा रहे हैं जिनके सदस्यों का लक्ष्य भी स्वाभाविक रुप से पद और प्रभाव पर केन्द्रित होता है। यही वजह है कि लोग इतने मौकापरस्त और स्वार्थी हो जाते हैं कि उनका लक्ष्य केवल स्व होता है। यही वजह है कि बड़ी आसानी से जिधर पलड़ा भारी उधर झुकाव की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। इन सबके मध्य संगठन के लोक कल्याण और समाज कल्याण का मूलभूत आदर्श कहां लुप्त हो जाता है उसका पता ही नही चल पाता।

श्री भागवत का ईशारा संभवतः इसी ओर है। उन्होंने स्मरण दिलाया है कि कोविड महामारी के समय भारत ने दुनिया के समक्ष अपने जिस जनकल्याण स्वरुप को प्रदर्शित किया है वह कायम रहना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखता है। वैसे भी कहा गया है कि अपने लिए हर कोई जीता है मगर जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका जीना ही वास्तव में सार्थक होता है। कम से कम आपस में सदभावना और सदव्यवहार तो हम रख ही सकते है। किसी का भला नही कर पाएं तो कम से कम बुरा तो नही करें। इससे शायद भौतिक रुप से कुछ हासिल न हो पर सुकून और शांति अवश्य मिलेगी जिसका कोई मोल नही होता।

किसान आन्दोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेंगी

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है।

विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति शृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

ललित गर्ग

(ये लेखक के अपने विचार है)

देश की सॉफ्ट पावर बताती है पासपोर्ट रैंकिंग

अंतरराष्ट्रीय यात्रा में किसी पासपोर्ट की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह लगभग अकेले ही निर्धारित करता है कि इसका धारक कितनी आसानी से सीमाओं को पार कर सकता है और नए क्षितिज तलाश सकता है। पासपोर्ट की शक्ति निर्धारित करने में अंतरराष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजबूत राजनयिक संबंध और सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले देशों के पास अक्सर शक्तिशाली पासपोर्ट होते हैं जो अपने नागरिकों को अन्य देशों में व्यापक वीजा.मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं। दरअसल जियो.पॉलिटिक्स में किसी देश के पासपोर्ट की ताकत उसकी सॉफ्ट पावर मापने के लिए एक अहम इकाई है। एक मजबूत पासपोर्ट नागरिकों को बिना वीजा के ही दुनिया भर के कई देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। अब पासपोर्ट की रैंकिंग का एक आधार यही है कि किन देशों के पासपोर्ट के साथ आप ज्यादा से ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं।

किसी देश के पासपोर्ट की शक्ति को आंकने का पैमाना पासपोर्ट इंडेक्स है जो समय.समय पर सरकारी और निजी स्तर पर जारी किये जाते हैं। इनमें सबसे विश्वसनीय हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को माना जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालने वाली कंपनी का नाम हेनले एंड पार्टनर्स है। यह लंदन की एक इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है। इसमें 18 वर्षों का ऐतिहासिक डेटा है। इंडेक्स के लिए जरूरी चीजें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित होती हैंए जिसमें इनके इन.हाउस रिसर्च और ओपन.सोर्स ऑनलाइन डेटा का उपयोग करके पूरी सूची तैयार की जाती है। इस इंडेक्स या सूचकांक में 199 अलग.अलग पासपोर्ट और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन शामिल हैं। बात करें इस हेनले इंडेक्स को बनाने की मेथडोलॉजी की तो हर ट्रैवल डेस्टिनेशन जिस भी देश आप जाना चाह रहे हों के लिएए यदि किसी देश या क्षेत्र के पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है तो उस पासपोर्ट को 1 अंक दिया जाता है। अगर पासपोर्ट धारक गंतव्य देश में प्रवेश करते समय वीजा.ऑन.अराइवल विजिटर्स परमिट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (ईटीए) भी प्राप्त कर लेता है तो भी उसे 1 अंक दे दिया जाएगा। दरअसल इस तरह के वीजा के लिए सरकार की पहले अनुमति नहीं लेनी होती हैए क्योंकि उस देश का टाई.अप पहले ही गंतव्य देश के साथ हो चुका होता हैए जिसकी वजह से या तो वीजा फ्री होता है या इस तरह का वीजा तुरंत ही दे दिया जाता है। इसके अलावा जिन देशों में वीजा की आवश्यकता होती है या जहां पासपोर्ट धारक को अपने देश से उड़ान भरने से पहले ही सरकार से इलेक्ट्रॉनिक वीजा ;ई.वीजाद्ध लेना होता है उस स्थिति में जीरो अंक दिया जाता है। कुछ देशों में जाने के बाद अगर वीजा.ऑन.अराइवल के लिए अनुमति लेनी पड़े तो उस स्थिति में पासपोर्ट को जीरो अंक दिए जाते हैं। इसी तरह हर एक पासपोर्ट के लिए कुल स्कोर उन ट्रैवल डेस्टिनेशंस की संख्या के बराबर है जिनके लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है या मिलने के बाद तुरंत ही वीजा.ऑन.अराइवल जैसी चीजों का इंतजाम हो जाता है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की वर्ष 2024 की रैंकिंग में सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब अपने नाम किया है। उसके नागरिक 195 देशों में बगैर वीजा के जा सकते हैं। इसके बाद फ्रांस इटली जर्मनी जापान और स्पेन दूसरे स्थान पर हैं। इन देशों के नागरिक 192 देशों में बगैर वीजा के पहुंच रखते हैं। ऑस्ट्रिया फिनलैंड आयरलैंड लक्जमबर्ग नीदरलैंड दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। इन देशों से 191 देशों में बगैर वीजा के प्रवेश की सुविधा है। न्यूजीलैंड नॉर्वे, बेल्जियम डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ यूके चौथे स्थान पर है जो 190 गंतव्य देशों तक बगैर वीजा की सुविधा प्रदान करता है। अमेरिका 8 वें स्थान पर है। यहां से 186 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। यूक्रेन 30 और रसियन फैडरेशन को 45 वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 82 वें स्थान पर है। भारत से महज 58 देशों में ही बगैर वीजा के जाया जा सकता है। इतने कम वीजा.मुक्त गंतव्यों तक पहुंच के कारण देश के हाई नेटवर्थ वाले परिवारों में भारत से बाहर एक वैकल्पिक निवास रखने या नागरिकता लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले सुधारी है। बीस वर्षों में भारतीय पासपोर्ट सबसे खराब स्थिति यानी 90वें नंबर पर 2021 में था। चीन अपनी रैंक सुधार कर 59 वें और वीजा मुक्त देशों में पहुंच के मामले में 85 स्थान पर जा पहुंचा है। मालदीव 52 नंबर पर है। पाकिस्तान की हालत तो और भी बदतर है। यह 100 वें स्थान पर है और यहां से मात्र 33 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। नेपाल 98 वें स्थान पर है। उत्तर कोरिया 96, बांग्लादेश 97, फिलीस्तीन 97 वें स्थान पर हैं। इजरायल 18 वें स्थान पर है और 170 देशों में वीजा फ्री प्रवेश है। अफगानिस्तान पूर्ववत अंतिम स्थान 103 पर है और यहां से वीजा फ्री एंट्री 26 देशों में ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग दिखाती है कि पिछले दो दशकों में ग्लोबल मोबिलिटी यानी दुनिया में एक देश से दूसरे देश जाने में काफी बदलाव आया है। वर्ष 2006 में औसतन केवल 58 देशों में वीजा.फ्री यात्रा की जा सकती थी।

मनीष कुमार चौधरी

(ये लेखक के अपने विचार है)

राज-काज

सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि एनसीआर में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। फ्लैट का कब्जा नहीं पाने वालों को ईएमआई पेमेंट को लेकर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बिल्डरों द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न ही उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला चलेगा। सबसे बड़ी अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें खरीदारों की याचिकाओं को अन्य कानूनी विकल्पों की मदद लेने की बात कह कर खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र, बैंकों समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने सभी मामलों पर अंतरिम रोक लगाई जिसके तहत बैंकों/वित्तीय संस्थानों या बिल्डर/डेवलपर की ओर से मकान खरीदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले भी अदालत ने खरीदारों के पक्ष में सख्त फैसले दिए हैं। जब संसद में कानून पास होने के बाद कुछ रिअल एस्टेट कंपनियों ने इस संशोधन को अदालत में चुनौती दी थी। दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में बदलाव कर खरीदार को डिफॉल्टर, डवलपर को उसकी रकम वापस देने संबंधी संशोधन किया गया था। खरीदारों का कहना है कि बैंक की तरफ से ऋण सीधा बिल्डर के खाते में जाता है। जो रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। देश में जिस तेजी से विकास हो रहा है।

बजट में देश की समृद्धि व लोगों के निजी हितों का विशेष ध्यान

लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जुलाई में पूर्ण बजट में सरकार द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। अंतरिम बजट में न तो आम आदमी के लिए राहत की कोई विशेष घोषणाएं हुई थी और न ही उन पर कोई बड़ा बोझ लादा गया था, लेकिन अंतरिम बजट में भी सरकार का मुख्य फोकस गरीबों और महिलाओं पर ही दिखा था। आम बजट में हर वर्ग के लिए कुछ-न-कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। वैसे, सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर दिखा है, साथ ही बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने का रोड़मैप भी पेश किया गया है। बजट में देश की समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, साथ ही उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने की भी घोषणा की गई है, जो मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए इस वर्ष बजट आवंटन 1.52 लाख करोड़ रु पए है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो भारत की कुल जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। वित्तमंत्री के अनुसार 2024-25 तक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है और सरकार का लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाना है। बजट में आम लोगों से लेकर तमाम करदाता टैक्स स्लैब में कमी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और 80सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने की आस लगाए हुए थे। और वित्तमंत्री ने उन्हें निराश भी नहीं किया। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार नई आयकर दरों से करदाताओं को कम से कम 17500 रुपए की बचत होगी। वित्तमंत्री के मुताबिक नई कर व्यवस्था से सरकार को सात हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इससे चार करोड़ वेतनभोगियों को लाभ होगा।

योगेश कु. गोयल

(ये लेखक के अपने विचार है)

वर्ग पहेली 5443

1		2	3		4	5	6
	■	7		■	8		
9	10	■	11	12	■		■
13		■	14		15	■	16
	■	17		■	18	19	
20			■	21			■
	■	22		■		■	23
24			■	25			■

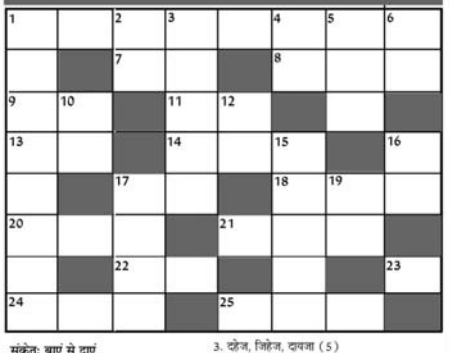

संकेत: बाएं से दाएं

1. उत्तरप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने 10 सितंबर 1887 को जन्म लिया (8)
7. सप्ताह का दिन, आक्रमण या हमला करने करने की क्रिया (2)
8. किसी वस्तु के निर्माण में लगा खर्च (3)
9. निर्जन, वीरान, सुनसान (2)
11. बल, शक्ति, फूंक, कुकर्मों से मन को हटाना (2)
13. इस वृक्ष की कड़वी छाल औषधि बनाने के काम आती है (2)
14. वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते है (3)
17. गुणनकर्म, गुणित (2)
18. छड़ी, लाठी, लुकाठ (3)
20. जायज, विहित, जिसका खाना और पीना धर्म में वर्जित हो (उर्दू)(3)
21. हुक्म, आधिकारिक आदेश, फैसला किया हुआ (3)
22. यह इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है प्राचीन काल में इसका नाम यवद्वीप था (2)
23. लपट, ज्वाला (1)
24. सिंह, शेर, बाघ (3)
25. काष्ठकर्मी, शिल्पकार, कारपेंटर (3)

संकेत: ऊपर से नीचे

1. संतान न होना (8)
2. औषधि, चिकित्सा, उपाय, गुर (2)
3. दहेज, जिहेज, दायजा (5)
4. नेक, छलहीन, कल्याणकारी, सज्जन (2)
5. भोजन करने के लिए जनसमूह का एक पंक्ति में बैठना (3)
6. ऐसा वाद्य जिसमें तार लगे हों (2)
10. वस्तु, प्राणी आदि का बोधक सूचक शब्द, संज्ञा, प्रसिद्धि (2)
12. बुद्धि, अक्ल, समझ, प्रज्ञा (2)
15. जल के देवता होने के कारण भगवान का एम नाम (5)
16. हरियाण की एक प्रसिद्ध जाति (2)
17. वर्तमान दौर के प्रसिद्ध गीतकार जिनकी पुरानी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं (4)
19. राजा जनक के नातियों में से एक (2)

वर्ग पहेली 5442 का हल

यु	गां	डा	■	र	ह	मा	न
व	■	का	ना	फूं	सी	■	य
रा	त	■	लि	■	ना	दा	न
ज	य	कि	श	न	■	■	न
■	■	शो	■	न	ट	ख	ट
अ	■	रा	ज	द	■	र	■
आ	न	व	र	■	आ	गो	श
न	■	स्वा	■	वी	णा	न	■

सुडोकू पहेली क्रमांक- 5443

	7			3			1	
1	3	9		8	2		6	
6							8	
7		2						1
			9		4			
8						9		6
	8							5
	5		1	4		2	9	7
	1			9			3	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 5442

6	1	3	7	5	9	8	2	4
4	8	9	2	1	6	3	7	5
5	2	7	8	3	4	6	1	9
9	6	5	1	7	8	4	3	2
3	7	8	5	4	2	9	6	1
1	4	2	6	9	3	7	5	8
2	5	4	9	6	7	1	8	3
7	9	1	3	8	5	2	4	6
8	3	6	4	2	1	5	9	7